भारत 2रु. COURT FEE कोर्ट फी दो रुपये TWO RUPEES INDIA Rs.2

न्यायालय राजस्व मंण्डल महोदय जिला ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2017/3413

1- रामहेत पुत्र स्वर्गीय श्री बावरिया जाटव

2- श्रीमती मुन्नीबाई पुत्री स्वर्गीय बावरिया जाटव पत्नी जोहरीलाल निवासीगण ग्राम मोहना तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर

--- -- निगरानीकर्ता

श्री के० के० चतुर्वेदी, अभि०
द्वारा आज 21-9-17 को
प्रस्तुत
रीडर ऑफ बोर्ड
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 21-9-17

बनाम

1- मातादीन पुत्र स्वर्गीय बावरिया

2- बालकिशन पुत्र बावरिया

3- रामबाई पुत्री बावरिया

4- रामवती पुत्री बावरिया

समस्त निवासीगण ग्राम दौरार तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर -

5- मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर तहसीलदार तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर म.प्र.

-- -- अनावेदकगण

C-R-3-10-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रकरण क्रमांक 20/2013-14/अ-6 व उन्वान मातादीन आदि बनाम रामहेत आदि में दिये गये आदेश दिनांक 29-8-2017 के विरुद्ध

877
राहुल तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / ग्वालियर / भू.रा. / 2017 / 3413

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–10–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदकगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रकरण के निराकरण के लिए उभय पक्ष को अपनी–अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित असर मिलना आवश्यक है । अतः न्यायहित में निर्देश दिये जाते हैं कि शपथ पत्रों की प्रतियां आवेदकगण को दिलायी जाये । आवेदकगण तथा अनावेदकगण यदि चाहें तो उन्हें साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का एक और अवसर प्रदान किया जाये । इन निर्देशों के साथ यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	